

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्रीग्रामजिला/मंडल प्रदेशके निवासी हैंसमुदाय से संबंधित हैं जिसे पिछड़ी जाति के रूप में निम्नलिखित अनुसार मान्यता प्राप्त है।

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 को प्रकाशित संकल्प सं० 12011/68/93-बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितंबर, 1983.
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995.
4. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996
5. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 129 दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/68/93-बीसीसी.
6. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 164 दिनांक 01 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/12/96-बीसीसी.
7. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 236 दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/99/94-बीसीसी.
8. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 239 दिनांक 03 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/13/97-बीसीसी.
9. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/12/96-बीसीसी.
10. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/68/93-बीसीसी.
11. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/68/98-बीसीसी.
12. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 270 दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/88/98-बीसीसी.
13. भारत के असाधारण राजपत्र भाग -1 खंड-1 सं० 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/36/99-बीसीसी.

श्री/श्रीमती/कु०..... और उसका परिवार साधारणतः

राज्य के जिले के निवासी है, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8/9/1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूचित के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है.

मुहर

जिलाधीश/उपायुक्त आदि

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त "साधारणतः निवासी" का अर्थ वही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 में वर्णित है।

उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन-पत्र जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कु०..... जो कि श्री/श्रीमती/कु०.....के पिता/माता हैं, गाँव/कस्बा.....

जिला/संभाग राज्य/संघशासित प्रदेश के हैं और जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे

राज्य संघशासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है.जारीकर्ता(निर्धारित

अथारिटी का नाम) द्वारा पत्र सं०..... दिनांक.....के तहत.श्री/श्रीमती/कु०.....और उनका परिवार

साधारणतः.....गाँव/कस्बे.....जिले/डिवीजन..... राज्य में निवास करता है।

स्थान राज्य/संघशासित प्रदेश, तिथि हस्ताक्षर..... पदनाम..... (कार्यालय मुहर)

जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें, कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें. उस पैराग्राफ को काट दें जो लागू न हो.

टिप्पणी: "साधारणतः निवासी" का अर्थ यहाँ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 30 में उल्लिखित है।

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.....

तिथि.....

अशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयु.....

लिंग.....पहचान के चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थाई अशक्तता से ग्रस्त हैं:-

क. प्रमस्तिष्कीय या गतिविषयक:

(i) बीएल-दोनों टांगे प्रभावित लेकिन बाजू नहीं

(ii) बीए-दोनों बाजू प्रभावित

(iii) ओएल-एक टांग प्रभावित (दाई या बाई)

(iv) ओए-एक बाजू प्रभावित

(v) बीएच-स्टिफ बैंक एण्ड हिप्स (बैठ या झुक नहीं सकता)

(vi) एमडब्ल्यू-मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सक्षमता

(क) इम्पेअर्ड रीच

(ख) कमजोर पकड़

(क) इम्पेअर्ड रीच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) एटाक्सिक

(क) इम्पेअर्ड रीच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) एटाक्सिक

